न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 125 सन् 2003

राजा राम राय वो0 ————वादी

बनाम

बल्ली राय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–25.11.2021

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–16.11.2021 अंदर आदेश 22 नियम 4 वो दफा 151 जाप्ते दिवानी पर प्रतिउत्तर दिनांक 25.11.2021 सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी ने प्रतिस्थापन आवेदन देकर निवेदन किया है कि उपरोक्त वाद मे मुदालह सं0–4 गौरी राय का मृत्यु बतारिख–18.04.2020 को हो गयी है। उपरोक्त वाद मे मुदालह सं0 का नाम कलमजद कर वो उनके वारिसानों का नाम दर्ज होना जरूरी है। मुदई अनपढ़ वो देहाती आदमी है। जिस वजह ससमय न्यायालय मे प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल नही कर सका। मुदई ने जानबूझकर प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने मे कोई गलती नही किया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपर्युक्त बातों पर विचार कर मुदालह सं0–1 का नाम कलमजद करके उनके वारिसानो का नाम अर्जीदावी मे मुन्दर्ज करने का आदेश दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने प्रतिउत्तर में सार रूप से कहा गया है मुदई का आवेदन पत्र विचारणी नही है। मुदई का आवेदन पत्र काल बाधित है। मुदई ने चार साल से अधिक के बाद मरम्मति का सवाल दिया है जो विचारणीय नही है। मुदई ने विलम्ब का कोई उचित कारण नही दिया है। मुदई ने जानबूझकर सवाल देने मे विलम्ब किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुदई का सवाल खारिज किया जाए ताकि न्याय हो सके।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेंख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। वादी का प्रतिस्थापना आवेदन विलम्ब से दाखिल किया गया है। विलम्ब माफी हेतु आवेदन दिया गया है। सूट अबेट कर गया हो तो उसे सेट एसाइड करने हेतु आवेदन दिया गया है। अतः वादी का आवेदन दिनांक–16.11.2021 को विलम्ब माफ करते हुए 500/–रू0 खर्चे के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश से चौदह दिन के अंदर सिंरिस्तेदार के समक्ष अपने आवेदन के आलोक मे संसोधन कर लें।

वाद दिनांक–06.12.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।